शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 739)

/

14 जुलाई, 2022

[सूर्या कान्ट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860 -s.302-हत्या-साक्ष्य-नेत्र साक्ष्य-अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज-पीड़ित-मृत और अपीलार्थी मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे-अभियोजन मामला जो पीड़ित और अपीलार्थी के बीच 10.12.2006 की रात को झगड़ा हुआ, जो पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8 द्वारा देखा गया था-अपीलार्थी ने पीड़ित पर अपने सिर पर हथौड़े से हमला किया-पीड़ित की मृत्यु हो गई-निचली अदालत ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-8 की मौखिक गवाही और हथियार की खोज के साक्ष्य यानी हथौड़े और दोषी अपीलार्थी पर भरोसा किया-उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और अपील को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गया:प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करने में, दो प्रमुख विचार हैं कि क्या मामले की परिस्थितियों में, घटना स्थल पर या ऐसी स्थितियों में उनकी उपस्थिति पर विश्वास करना संभव है जिससे उनके लिए उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को देखना संभव हो और दूसरा, क्या उनके साक्ष्य में कुछ भी स्वाभाविक रूप से असंभव या अविश्वसनीय है-इन दोनों विचारों के संबंध में, या तो उन गवाहों से प्राप्त परिस्थितियाँ या उनकी उपस्थिति को असंभव बनाने या उनके बयानों की सत्यता को बदनाम करने के लिए अन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ, उस मूल्य पर असर डालेंगी जो एक न्यायालय उनके साक्ष्य के साथ जोड़ेगी-तत्काल मामले में, दोनों आंखों के साक्ष्य में कुछ भी स्पष्ट या स्पष्ट नहीं है।

/

/

/

/

/

/

196 ए.

197

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शैख बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

प्रासंगिक यू/एस होगा।8 साक्ष्य अधिनियम-साक्ष्य अधिनियम, 1872।8 और 27.

भारत का संविधान-आपराधिक अपीलों में Art.136 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग-चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** नेत्र साक्ष्य का मूल्यांकन एक कठिन कार्य है।नेत्र साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कोई निश्चित या सीधा-जैकेट सूत्र नहीं है।आपराधिक मामले में नेत्र साक्ष्य की सराहना के लिए न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों को निम्नानुसार गिना जा सकता हैः

/

I. एक गवाह के साक्ष्य की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, कमियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य सार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन इसे विश्वास के अयोग्य बनाने के लिए हिलाया गया है।

/

/

II. यदि जिस न्यायालय के समक्ष गवाह साक्ष्य देता है, उसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य सार के बारे में राय बनाने का अवसर मिलता है, तो जिस अपीलीय न्यायालय को यह लाभ नहीं था, उसे निचली विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना को उचित महत्व देना होगा और जब तक कि भारी और दुर्भावनापूर्ण कारण न हों, तुच्छ विवरणों के मामले में मामूली भिन्नताओं या दुर्बलताओं के आधार पर साक्ष्य को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

/

III. जब चश्मदीद गवाह की विस्तार से जांच की जाती है तो उसके लिए कुछ विसंगतियां करना काफी संभव है।लेकिन न्यायालय ों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि न्यायालय को उसके साक्ष्य को रद्द करने में उचित ठहराया जाता है।

/

IV. तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियां जो मामले के मूल को नहीं छूती हैं**,** साक्ष्य से यहाँ या वहाँ संदर्भ से फटे वाक्यों को लेकर अति तकनीकी दृष्टिकोण**,** संलग्न करना

/

जाँच अधिकारी द्वारा की गई किसी तकनीकी त्रुटि का महत्व मामले की जड़ तक नहीं जाना सामान्य रूप से समग्र रूप से साक्ष्य को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

V. किसी घटना के कथन में केवल भिन्नताओं **(**या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच**)** पर अपनाए जाने वाला बहुत गंभीर दृष्टिकोण न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।**VI.** मोटे तौर पर एक गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो और वह किसी घटना के विवरण को याद कर सके।ऐसा नहीं है कि एक वीडियो टेप को मानसिक स्क्रीन पर फिर से चलाया जाता है।

/

/

VII. आम तौर पर ऐसा होता है कि एक गवाह घटनाओं से आगे निकल जाता है।गवाह उस घटना का अनुमान नहीं लगा सकता था जिसमें अक्सर आश्चर्य का तत्व होता है।इसलिए मानसिक क्षमताओं को विवरणों को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।**VIII.** अवलोकन की शक्तियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। जिसे कोई देख सकता है**,** दूसरा नहीं भी देख सकता है।एक वस्तु या गतिविधि एक व्यक्ति के दिमाग पर अपनी छवि बना सकती है जबकि यह दूसरे की ओर से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है।

/

IX. बहुत से लोग एक बातचीत को सटीक रूप से याद नहीं कर सकते हैं और उनके द्वारा उपयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए शब्दों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।वे केवल बातचीत के मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं।एक गवाह से मानव टेप रिकॉर्डर होने की

उम्मीद करना अवास्तविक है।**X.** किसी घटना के सटीक समय, या किसी घटना की समय अवधि के संबंध में, आमतौर पर, लोग पूछताछ के समय क्षण की गति पर अनुमान लगाकर अपना अनुमान लगाते हैं।और ऐसे मामलों में लोगों से बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।पुनः, यह व्यक्तियों की समय-बोध पर निर्भर करता है जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है।**XI.** आम तौर पर एक गवाह से उन घटनाओं के अनुक्रम को सटीक रूप से याद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो तेजी से या कम समय में होती हैं।एक गवाह भ्रमित हो सकता है, या बाद में पूछताछ करने पर भ्रमित हो सकता है।

/

/

/

बारहवीं। एक गवाह, हालांकि पूरी तरह से सच्चा है, न्यायालय के माहौल और वकील द्वारा और घबराहट के कारण तथ्यों को मिलाने, घटनाओं के क्रम के बारे में भ्रमित होने, या ए से विवरण भरने से भयभीत होने के लिए उत्तरदायी है।

/

199

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शैख बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

पल की प्रेरणा पर कल्पना।गवाह का अवचेतन मन कभी-कभी मूर्ख दिखने या अविश्वास होने के डर के कारण काम करता है, हालांकि गवाह अपने द्वारा देखी गई घटना का सच्चा और ईमानदार विवरण दे रहा है।तेरहवीं। एक पूर्व कथन हालांकि साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि विरोधाभास के लिए पर्याप्त हो।जब तक पहले के बयान में बाद के बयान को बदनाम करने की शक्ति नहीं है, तब तक उस गवाह का खंडन करना मददगार नहीं होगा, भले ही बाद का बयान कुछ हद तक पहले के बयान से भिन्न हो।**[**पैरा **27] [211-**ए-एच**; 212-**ए-एच**; 212-**ए-सी**]**

/

/

2. इसे सरल शब्दों में कहें तो, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करने में, दो प्रमुख विचार हैं कि क्या मामले की परिस्थितियों में, घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर विश्वास करना संभव है या ऐसी स्थितियों में जो उनके लिए उनके द्वारा बयान किए गए तथ्यों को देखना संभव बनाती हैं और दूसरा, क्या उनके साक्ष्य में कुछ भी स्वाभाविक रूप से असंभव या अविश्वसनीय है।इन दोनों विचारों के संबंध में, या तो उन गवाहों से प्राप्त

परिस्थितियों या उनकी उपस्थिति को अस्थिर करने या उनके बयानों की सत्यता को बदनाम करने के लिए अन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित परिस्थितियों का उस मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा जो एक न्यायालय उनके साक्ष्य के साथ जोड़ेगी।यद्यपि जिन मामलों में अभियुक्त की याचिका मात्र इनकार है**,** फिर भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की जांच अपने गुण**-**दोष के आधार पर की जानी चाहिए**,** जहां अभियुक्त एक निश्चित याचिका दायर करता है या एक सकारात्मक मामला सामने रखता है जो अभियोजन पक्ष के साथ असंगत है**,** ऐसी याचिका या मामले की प्रकृति और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय इसके संबंध में संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।**[**पैरा **28] [212-**ई**-**जी**]**

/

/

/

3. दोनों चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कुछ भी स्पष्ट या स्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर हम यह विचार ले सकते हैं कि वे सच या विश्वसनीय नहीं हैं।यहाँ या वहाँ चूक के रूप में कुछ विरोधाभास चश्मदीद गवाहों के पूरे साक्ष्य को त्यागने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।अतः**,** उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** हमारा विचार है कि दोनों

/

/

निचली अदालतों ने दो चश्मदीद गवाहों यानी पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-8** के जवाब पर सही विश्वास किया।**[**अनुच्छेद **29** और **33] [212-**एच**; 214-**ए**,** जी**]** सबूत अधिनियम की धारा **27** के अंतर्गत डिस्कवरी पंचनामा ड्रॉः

4. जहां तक अधिनियम की धारा **27** के अंतर्गत अपराध के हथियार की खोज के संबंध में विधि की स्थिति का संबंध है**,** इस न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा सौंपे गए तर्कों में एक गंभीर दुर्बलता देखी है**,** जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।यदि हम इसे नजरअंदाज करते हैं या अनदेखा करते हैं तो संभवतः निचली अदालतें वही गलती करती रह सकती हैं और ऐसी परिस्थितियों में**,** हम विधि की सही स्थिति और अधिनियम की धारा **27** के प्रावधानों के अनुसार खोज के साक्ष्य की सराहना कैसे करें**,** इसकी व्याख्या करना चाहेंगे। **[**पैरा **34] [215-**ए**-**बी**]5.** पीडब्लू**-4** और पीडब्लू**-10** के जवाब के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अपीलार्थी ने पंच गवाहों के सामने इस आशय से कहा कि **"**मैं आपको पार्ले में जूतों की दुकान के पास छिपा हुआ हथियार दिखाऊंगा।**"**इस कथन से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत

दिया है।केवल खोज को हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।वह किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी उस स्थान पर उस हथियार के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था।हो सकता है कि उसने किसी को हथियार छिपाते हुए भी देखा हो, और इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति ने हथियार की खोज की थी, वह वही व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था।इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा खोज को स्वीकार कर लिया जाए, हथियार की खोज के संबंध में ठोस साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि अपीलार्थी ने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा।**[**पैरा **45] [219-**बी**-**ई**]6.** इस प्रकार, सटीक शब्दों के अभाव में, एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए जिम्मेदार, उसके द्वारा दिए गए बयान के रूप में जांच अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में अपदस्थ किया गया था, और पंचनामों की सामग्री को साबित किए बिना भी, निचली न्यायालय को न्यायसंगत नहीं ठहराया गया था।

/

/

/

/

/

/

/

201

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शैख बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

हथियार की खोज की परिस्थितियों पर निर्भरता रखने में।**[**पैरा **47] 2 [219-**एच**; 220-**ए**]**

7. यहाँ तक कि खोज पंचनामे के रूप में साक्ष्य को त्यागते समय भी अपीलार्थी का आचरण अधिनियम की धारा **8** के अंतर्गत प्रासंगिक होगा। खोज का साक्ष्य धारा **27** के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता के अलावा अधिनियम की धारा **8** के अंतर्गत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा। **[**पैरा **48] [220-**बी**]**

/

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमान उपाध्याय आकाशवाणी

(1960) एससी **1125:[1961] 1** एस**.** सी**.** आर**. 14-**अनुसरण किया गया।

/

एच. पी. प्रशासन।बनाम ओम प्रकाश (1972) 1 एस. सी. सी. 249:[1972]

2 एससीआर **765;** बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1975) 3** एससीसी

219 :[1975] 1 एससीआर 753; अरुणाचलम बनाम पी. एस. आर. साधनानथम (1979) 2 एस. सी. सी. 297; नैन सिंह बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य (1991) 2 एस. सी. सी. 432:[1991] 1 एससीआर 685; यू. पी. राज्य बनामबाबुल नाथ (1994) 6 एस. सी. सी. 29:[1994] 2 पूरक।

/

एससीआर **598;** यू**.** पी**.** राज्य बनामअनिल सिंह एआईआर **1988** एससी **1998**

:[1988] 2 पूरक।एस. सी. आर. 611; मुरली और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2009) 9 एस. सी. सी. 417:[2009] 13 एससीआर 378;

ए**.** एन**.** वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य **(2005) 7** एससीसी **714;** राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)** बनाम नवजोत संधू **(2005) 11**

/

एससीसी **600:[2005] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 79-**निर्भर।

भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य

1983 एससी 753:[1983] 3 एस. सी. आर. 280; लीला राम बनाम हरियाणा राज्य ए. आई. आर 1999 एस. सी. 3717:[1999] 3 पूरक।एससीआर

435; तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1959** एस**.** सी**. 1012**

/

:[1959] 2 पूरक।एस. सी. आर. 875; मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. (1976) एस. सी. 483:[1976] 1

एस**.** सी**.** आर**. 715;** कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य ए**.** आई**.** आर**. (1983)**

एससी 446:[1983] 2 एस. सी. आर. 552; फुलुकुरी कोट्टाया बनाम।

सम्राट आकाशवाणी (1947) पी. सी. 67; दूध नाथ पांडे बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश आकाशवाणी (1981) एस. सी. 911:[1981] 2 एस. सी. आर. 771-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[1972] 2 एससीआर **765**

पर विश्वास किया

पैरा **20**

[1975] 1 एससीआर **753**

पर विश्वास किया

पैरा **21**

/

(1979) 2 एससीसी **297**

पर विश्वास किया

पैरा **21**

[1991] 1 एससीआर **685**

पर विश्वास किया

पैरा **22**

[1994] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 598** पैरा **22 [1983] 3** एस**.** सी**.** आर**. 280** पर निर्भर था जिसे पैरा **27 [1999] 3** सप्लीमेंट कहा जाता है।एस**.** सी**.** आर**. 435** पैरा **27 [1959] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 875** पैरा **27 [1988] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 611** पैरा **30 [2009] 13** एस**.** सी**.** आर**. 378** पैरा **40 [1976] 1** एस**.** सी**.** आर**. 715** पैरा **42 [1983] 2** एस**.** सी**.** आर**. 552** पैरा **42 [1961] 1** एस**.** सी**.** आर**. 14**

/

/

पीछा किया।

पैरा **43**

[1981] 2 एससीआर **771**

संदर्भित

पैरा **46**

/

(2005) 7 एस**.** सी**.** सी**. 714**

पर विश्वास किया

पैरा **48**

[2005] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 79** पैरा **49** पर निर्भर था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2017 की आपराधिक अपील संख्या 739।

/

सी. आर. एल. में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के 10.07.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से। 2014 की अपील सं. 449।

सुश्री ऋचा कपूर, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा, कुणाल आनंद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.**

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के अंतर्गत दंडनीय हत्या के अपराध के आरोपी एक दोषी के कहने पर है और बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक अपील संख्या 449 में दिनांक 10.07.2015 द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दोषी आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था और इस प्रकार ए.

/

/

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

6 वें तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सेवरी, मुंबई द्वारा 2007 के सत्र मामला संख्या 256 में पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की।

रोग होने का कारणः

2. मृतक अर्थात्। महांकाल जयसवाल और अपीलार्थी मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे और एक-दूसरे को जानते थे।मृतक अन्य मजदूरों के साथ विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुल के नीचे या उस पर सोते थे।विले पार्ले रेलवे स्टेशन के पुल के पास एक हनुमान मंदिर भी स्थित है।मूल प्रथम सूचनादाता नंदलाल रामनिहोर मिश्रा (पीडब्लू-1) हनुमान मंदिर के पुजारी थे।नंदलाल मंदिर के पास एक झोपड़ी में रहता था। 10.12.2006 पर 10 बजेः30 पी. एम. अपीलार्थी और मृतक के बीच पैसे के कारण झगड़ा हुआ।यह झगड़ा विले पार्ले रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की के पास हुआ।दोनों के बीच झगड़ा पीडब्लू-1 नंदलाल ने देखा था।लगभग 12 बजेः00 12 तकः15 ए. एम. जब मृतक महांकाल, पीडब्लू-8 उदयसिंह और अन्य लोग मंदिर के पास पुल पर सो रहे थे, तब पीडब्लू-1 नंदलाल ने "धप्पा" का शोर सुना।जैसे ही उसने शोर सुना, वह जाग गया और अपनी झोपड़ी का पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है।पीडब्लू-1 नंदलाल ने अपीलार्थी को मृतक के सिर पर हथौड़े से हमला करते देखा।अपीलार्थी द्वारा मृतक पर किए गए हमले को पीडब्लू-8 उदयसिंह ने भी देखा, जो मृतक के पास सो रहे थे।हमले के बाद अपीलार्थी हाथ में हथौड़ा लिए हुए घटना स्थल से चला गया।कहा जाता है कि पीडब्लू-1 नंदलाल ने अपीलार्थी से उस समय पूछा था जब वह जा रहा था कि क्या उसने महांकाल (मृतक) की हत्या की थी।इसके बाद, अपीलार्थी ने जवाब दिया कि उसने महांकाल की हत्या कर दी थी।ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद पूरी रात कुछ नहीं हुआ।सुबह पुलिस हरकत में आई और देखा कि महांकाल मृत पड़ा है। महांकाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

/

/

/

/

/

3. पीडब्लू-1 नंदलाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्सएच) दर्ज की। 13) अंधेरी पुलिस स्टेशन में 11.12.2006 पर जो भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एफ़. आई. आर. सं. 91/06 के रूप में दर्ज किया गया। एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।जाँच के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए।ऐसा प्रतीत होता है कि पंचनामा की खोज

/

/

204

/

[2022] 12 एस सी आर।

अपराध का हथियार अर्थात हथौड़ा (Exh.23) भी साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "अधिनियम" संदर्भित) की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत 16.12.2006 पर खींचा गया था।

4. पीडब्लू-6 डॉ. शिवाजी विष्णु कचारे द्वारा किए गए शव के पोस्टमार्टम में निम्नलिखित बाहरी चोटों का पता चलाः

/

(i) दाएँ सामने वाले क्षेत्र में 3 से. मी. ऊपर सी. एल. डब्ल्यू., दाएँ आँख में 2 से. मी. x 2 से. मी. हड्डी गहरी लाल रंग की हो।

((ii) दाहिने सामने वाले क्षेत्र में सी. एल. डब्ल्यू., पार्श्व से चोट संख्या (i) 4x2 से. मी. हड्डी गहरी लाल;

(iii) दाहिने अस्थायी पार्श्विक क्षेत्र में घाव की तरह, हड्डी के गहरे लाल रंग में 3x1 सेमी।

/

5. डॉ. शिवाजी विष्णु कचारे ने निम्नलिखित आंतरिक चोटों को नोट कियाः

आई. खोपड़ी के नीचे की चोट-दाहिने अस्थायी और पार्श्विक और सामने के क्षेत्र अंतर्गत रक्तस्राव देखा जाता है, जिसका रंग लाल होता है।

/

ii.खोपड़ी-दाहिने सामने से अस्थायी हड्डी 2 सेमी x 1 सेमी पर यौगिक फ्रैक्चर;

iii.मस्तिष्क-दाहिने सामने से लौकिक और पार्श्विक क्षेत्र में प्रत्यावर्तन रक्तस्राव-9 सेमी x 8 सेमी लाल;

/

iv.दाहिने गोलार्ध में सबड्यूरल और सबआर्कहेनोइड रक्तस्राव लाल रंग का होता है।

6. अपराध के हथियार यानी हथौड़े को रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था।रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (एक्स. एच. 9) के अनुसार हथौड़ा मानव रक्त से सना हुआ था और उस पर कुछ बाल चिपके हुए थे।

/

7. जाँच के अंत में जाँच एजेंसी ने अपीलार्थी के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए 22 वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अंधेरी की न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया, जिसने बदले में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "Cr.PC") की धारा 209 के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमे के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।8. निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप (Exh.2) विरचित किया।

/

/

205

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

/

9. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल दस गवाहों से पूछताछ की।निम्नलिखित गवाहों का साक्ष्य वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक है।

(i) पीडब्लू-1 नंदलाल रामनिहोर मिश्रा (Exh.12), मूल प्रथम सूचना देने वाला और चश्मदीद गवाह;

/

(ii) पीडब्लू-4 अमसू हुसैन सैयद (एक्सएच। 21), अपराध के हथियार के पंचनामा की खोज का पंच गवाह;

(iii) पीडब्लू-8 उदयसिंह रामसिंह ठाकुर (एक्सएच। 29), चश्मदीद गवाह।(iv) पीडब्लू-6 डॉ. शिवाजी विष्णु कचारे (एक्सएच। 25), पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी;

/

(v) पीडब्लू-10 मारुति दत्तात्रेय रस्कर (एक्सएच। 31), जाँच अधिकारी।

10. निचली विचारण न्यायालय ने दो चश्मदीद गवाहों यानी पीडब्लू-1 नंदलाल और पीडब्लू-8 उदयसिंह की मौखिक गवाही पर विश्वास किया।इन दोनों चश्मदीद गवाहों की मौखिक गवाही पर भरोसा करते हुए, निचली विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया।निचली विचारण न्यायालय ने हथियार की खोज के साक्ष्य पर भी भरोसा किया,

यानी अपीलार्थी के कहने पर हथौड़ा, अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली आपराधिक परिस्थितियों में से एक के रूप में।निचली विचारण न्यायालय ने तदनुसार 08.09.2008 का निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश पारित किया और अपीलार्थी को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 1, 000/- और चूक में एक महीने के और कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा।

/

/

11. इसमें अपीलार्थी ने बंबई उच्च न्यायालय में 2014 की आपराधिक अपील संख्या 449 दायर करके निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती दी।उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन पर, निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया।

/

12. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

/

अपीलकर्ता के स्वयं के बारे में सुझावः

13. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में गंभीर त्रुटि की कि अपीलार्थी हत्या के अपराध का दोषी है।विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि दोनों अदालतें

/

नीचे दो तथाकथित चश्मदीद गवाहों को विश्वसनीय गवाहों के रूप में मानने में एक गंभीर गलती की।यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया था कि दोनों चश्मदीद गवाह यानी पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8 अविश्वसनीय गवाह हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना की उत्पत्ति, घटना के स्थान और घटना के समय को ध्यान में रखते हुए घटना को दोनों चश्मदीद गवाहों द्वारा नहीं देखा जा सकता था।

/

14. विद्वान वकील ने पीडब्लू-1 नंदलाल के अप्राकृतिक आचरण के संबंध में आगे प्रस्तुत किया, जो हमले को देखने का दावा करता है, लेकिन पूरी रात चुप रहा और अगले दिन सुबह अंधेरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उचित समझा और वह भी पुलिस के कार्रवाई में आने के बाद।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस को सूचित करने में देरी, अपने आप में, इस बात पर संदेह पैदा करती है कि क्या पीडब्लू-1 नंदलाल ने वास्तव में हमले को देखा था।

/

15. विद्वान वकील ने आगे कहा कि निचली अदालतों को अपीलार्थी के कहने पर अपराध के हथियार की खोज के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए था।

/

16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुज्ञात जा सकती है और निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों को दरकिनार किया जा सकता है और अपीलार्थी को आरोप से बरी किया जा सकता है।

/

राज्य के स्वयं के बारे में सुझावः

17. दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री राहुल चिटनिस ने इस अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि निचली विधि द्वारा अपीलार्थी को हत्या के अपराध का दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।वह प्रस्तुत करेंगे कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रमशः निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के सहमतिपूर्ण निष्कर्षों को बाधित नहीं कर सकता है।वह प्रस्तुत करेंगे कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने दो चश्मदीद गवाहों की मौखिक गवाही पर विश्वास करना उचित समझा है और अन्यथा भी घटना के दो चश्मदीद गवाहों पर विश्वास न करने का कोई उचित कारण नहीं है।वह प्रस्तुत करेगा कि दो चश्मदीद गवाहों के मौखिक साक्ष्य के अलावा, अपीलार्थी के कहने पर अपराध के हथियार (हथौड़ा) की खोज के रूप में अभियुक्त के दोषी की ओर इशारा करने वाला सबूत का एक अतिरिक्त टुकड़ा है।वह प्रस्तुत करेगा कि ए की खोज का पंचनामा

/

/

/

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध का हथियार अपीलार्थी के खिलाफ जाने वाली एक अतिरिक्त परिस्थिति है।

18. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य का विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

/

विश्लेषणः

19. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है?

/

आवेदन का दायरा और चौड़ाईः

20. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय की शक्ति तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में भी प्रयोग की जा सकती है और ऐसी शक्तियां बहुत व्यापक हैं लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है।यह विचार इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1958 में मद्रास राज्य बनाम ए. वैद्यनाथ अय्यर, (1958) एस. सी. आर. 580 के मामले में व्यक्त किया गया था।इस निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 136 में इन शब्दों का उपयोग "सर्वोच्च न्यायालय , अपने विवेकाधिकार पर, भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है" यह दर्शाता है कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि या बरी होने के निर्णय के बीच अंतर किया जा सकता है।इस न्यायालय ने आगे कहा कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय और प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि

/

/

उच्च न्यायालय प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है, हस्तक्षेप हो सकता है

/

बनाया जाए।उस निर्णय में, इस न्यायालय ने तथ्यों पर बरी होने के निर्णय को दरकिनार कर दिया था क्योंकि मामले की मुख्य विशेषताओं की ठीक से सराहना नहीं की गई थी

या उच्च न्यायालय द्वारा उचित महत्व दिए जाने पर और इस प्रश्न पर उसका दृष्टिकोण कि क्या 800 रुपये की राशि एक अवैध संतुष्टि थी या ऋण ऐसा था कि उच्च न्यायालय ने प्रतिकूल या अन्यथा कार्य किया था।

/

अनुचित तरीके से।इसलिए, इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार है यदि उच्च न्यायालय विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है, अर्थात, उच्च न्यायालय का निर्णय तब रद्द करने के लिए उत्तरदायी था जब मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सराहा नहीं गया था या उचित महत्व नहीं दिया गया था।फिर से, एच. पी. प्रशासन में।वी. ओम

/

प्रकाश (1972) 1 एस. सी. सी. 249:(1972) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 88, यह न्यायालय , अनुच्छेद 136 के अंतर्गत तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः(एस. सी. सी. पी. 256, पैरा 4)

“4. अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपीलों में, इस न्यायालय के पास तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की निस्संदेह शक्ति है, बरी किए जाने और दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, हालांकि बरी किए जाने के मामले में यह सामान्य रूप से साक्ष्य की सराहना या तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उच्च न्यायालय 'विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य नहीं करता'। "21. पुनः, बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 219:(1974) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 837, इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व्यापक हैं लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है।अरुणाचलम बनाम पी. एस. आर. साधनानथम, (1979) 2 एस. सी. सी. 297:(1979) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 454, इस न्यायालय ने इस न्यायालय

के उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों पर व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होते हुए इस प्रकार कहा हैः(एस. सी. सी. पी. 300, पैरा 4)

/

/

/

“4. शक्ति इस अर्थ में पूर्ण है कि अनुच्छेद 136 में ही उस शक्ति को योग्य बनाने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।लेकिन, शक्ति की प्रकृति ने न्यायालय को इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपनी सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है।अब यह इस न्यायालय की अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति के आह्वान की अनुमति केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी जाए, जैसे कि जब सामान्य सार्वजनिक महत्व के विधि का प्रश्न उठता है या कोई निर्णय अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है।लेकिन, अपने द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के भीतर, इस न्यायालय के पास तथ्य के निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप करने की निस्संदेह शक्ति है, जिसमें बरी करने और दोषसिद्धि के निर्णयों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, यदि उच्च न्यायालय ने उन निष्कर्षों पर पहुंचने में 'प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से' कार्य किया है।” (जोर दिया गया)

/

/

22. नैन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1991) 2 एस. सी. सी. 432:(1991) एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 421, जिसमें ऊपर उल्लिखित सभी उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के प्रश्न पर उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद और उपरोक्त निर्णयों में व्यक्त विचारों से सहमत होने के बाद, न्यायालय ने अंततः यह सिद्धांत निर्धारित किया कि उस निर्णय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ए के परीक्षण से कम था।

/

/

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

विश्वसनीयता और स्वीकार्यता और इसलिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक असुरक्षित था।यू. पी. राज्य बनामबाबुल नाथ (1994) 6 एस. सी. सी. 29:1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1585, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के दायरे पर विचार करते हुए कहा कि

यह न्यायालय कब तथ्य के निष्कर्षों को परेशान करने का हकदार है, निम्नानुसार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 33, पैरा 5)

“5. शुरुआत में ही हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत एक अपील में यह न्यायालय आम तौर पर स्वयं साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है और गवाहों की विश्वसनीयता के प्रश्न पर जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन को अंतिम के रूप में स्वीकार किया जाता है जब तक कि, निश्चित रूप से, साक्ष्य और निष्कर्ष की सराहना प्रक्रिया के विधि की किसी भी त्रुटि से दूषित नहीं होती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाई जाती है, रिकॉर्ड की त्रुटियां और साक्ष्य का गलत अध्ययन, या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत और रिकॉर्ड पर साक्ष्य से असमर्थनीय हैं। "

/

/

/

23. संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के प्रयोग पर इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैंः

(i) संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं लेकिन आपराधिक अपीलों में यह न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

/

असाधारण परिस्थितियाँ।

((ii) यदि उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की है तो इस न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

विपरीत या अन्यथा अनुचित रूप से।

/

((iii) इस न्यायालय के लिए अनुच्छेद 136 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग करने का अधिकार है।

केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में जब एक

सामान्य सार्वजनिक महत्व के विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है या

निर्णय न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

((iv) जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कम हो जाता है

/

विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की परीक्षा और इस तरह यह है

उस पर कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक असुरक्षित।

(v) जहां साक्ष्य और निष्कर्ष का मूल्यांकन प्रक्रिया के विधि की किसी भी त्रुटि से दूषित हो जाता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया जाता है, अभिलेख की त्रुटियां और गलत तरीके से पढ़ा जाता है।

/

साक्ष्य का, या जहाँ उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और अभिलेख पर साक्ष्य से असमर्थनीय हैं।

24. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

/

25. यह अभिलेख पर साक्ष्य से प्रकट होता है, विशेष रूप से पीडब्लू-1 नंदलाल रामनिहोर मिश्रा (एक्सएच। 12) कि मृतक और अपीलार्थी दोनों को वह जानता था।पीडब्लू-1 नंदलाल दोनों को जानते थे क्योंकि वे सभी एक ही इलाके में रहते थे, यानी विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर स्थित हनुमान मंदिर के पास।पीडब्लू-1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में उस लड़ाई के बारे में बात की है जो पहली बार 10 बजे हुई थी:30 विले पार्ले रेलवे स्टेशन की पश्चिमी टिकट खिड़की के पास कहीं मृतक और अपीलार्थी के बीच पी. एम.।पैसों को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद लगभग 12 बजे:00 उस रात जब मृतक सो रहा था, अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर हथौड़े से हमला किया।पी. डब्ल्यू.-1 नंदलाल ने शोर सुनकर वही देखा।कहा जाता है कि हमला समाप्त होने के बाद, पीडब्लू-1 ने भी अपीलार्थी से यह पूछकर उसका सामना किया कि क्या उसने मृतक को मार डाला था।हम नंदलाल (पीडब्लू-1) की मुख्य परीक्षा में कुछ भी असंभव नहीं पाते हैं, विशेष रूप से बहुत कम और कम प्रति-परीक्षा को देखते हुए।हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि एक चूक के रूप में एक मामूली विरोधाभास के अलावा, पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा से कुछ भी ठोस नहीं निकाला जा सकता है ताकि उसके पूरे साक्ष्य को संदिग्ध बनाया जा सके।

/

/

/

26. पीडब्लू-8 उदयसिंह रामसिंह ठाकुर (Exh.29) भी इस घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक हैं।वह मृतक के साथ-साथ अपीलार्थी को भी जानता था क्योंकि वे सभी विले पार्ले के इलाके में मजदूरों के रूप में काम करते थे।जहाँ तक पीडब्लू-8 उदयसिंह के साक्ष्य का संबंध है, बचाव पक्ष एक चूक के रूप में एक बड़े विरोधाभास को दर्ज करने में सक्षम रहा है क्योंकि पीडब्लू-8 ने Cr.PC की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज अपने पुलिस बयान में अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर हथौड़े से वार करने के बारे में कुछ नहीं कहा था।पीडब्लू-8 ने अपनी जिरह में कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पुलिस ने हथौड़े से हमले के तथ्य को उनके पुलिस बयान में क्यों दर्ज नहीं किया।हालाँकि, पीडब्लू-8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना के बाद अपीलार्थी का सामना पीडब्लू-1 नंदलाल से हुआ था।पीडब्लू-8 के साक्ष्य का कुछ हिस्सा पीडब्लू-1 नंदलाल की मौखिक गवाही की पुष्टि करता है।

/

/

/

/

27. नेत्र साक्ष्य का मूल्यांकन एक कठिन कार्य है।नेत्र साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कोई निश्चित या सीधा-जैकेट सूत्र नहीं है।आपराधिक मामले में नेत्र साक्ष्य की सराहना के लिए न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों को निम्नानुसार गिना जा सकता हैः

I. एक गवाह के साक्ष्य की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, कमियों और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य सार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन इसे विश्वास के अयोग्य बनाने के लिए हिलाया गया है।

/

/

II. यदि जिस न्यायालय के समक्ष गवाह साक्ष्य देता है, उसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य सार के बारे में राय बनाने का अवसर मिलता है, तो जिस अपीलीय न्यायालय को यह लाभ नहीं था, उसे निचली विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना को उचित महत्व देना

होगा और जब तक कि भारी और दुर्भावनापूर्ण कारण न हों, तुच्छ विवरणों के मामले में मामूली भिन्नताओं या दुर्बलताओं के आधार पर साक्ष्य को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।III. जब चश्मदीद गवाह की विस्तार से जांच की जाती है तो उसके लिए कुछ विसंगतियां करना काफी संभव है।लेकिन न्यायालय ों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि न्यायालय को उसके साक्ष्य को रद्द करने में उचित ठहराया जाता है।

/

/

/

IV. मामूली मामलों पर मामूली विसंगतियां जो मामले के मूल को नहीं छूती हैं, साक्ष्य से यहां या वहां संदर्भ से फाड़े गए वाक्यों को लेकर अति तकनीकी दृष्टिकोण, जांच अधिकारी द्वारा मामले की जड़ तक नहीं जाने पर की गई कुछ तकनीकी त्रुटि को महत्व देना, सामान्य रूप से साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

/

/

V. किसी घटना के कथन में केवल भिन्नताओं (या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच) पर अपनाए जाने वाला बहुत गंभीर दृष्टिकोण न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।

VI. मोटे तौर पर एक गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो और वह किसी घटना के विवरण को याद कर सके।ऐसा नहीं है कि एक वीडियो टेप को मानसिक स्क्रीन पर फिर से चलाया जाता है।

/

VII. आम तौर पर ऐसा होता है कि एक गवाह घटनाओं से आगे निकल जाता है।गवाह उस घटना का अनुमान नहीं लगा सकता था जिसमें अक्सर आश्चर्य का तत्व होता है।इसलिए मानसिक क्षमताओं से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे विवरणों को अवशोषित करने के लिए अभ्यस्त हों।

/

VIII. अवलोकन की शक्तियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं।जिसे एक देख सकता है, दूसरा नहीं भी देख सकता है।एक वस्तु या गतिविधि एक व्यक्ति के दिमाग पर अपनी छवि बना सकती है जबकि यह दूसरे की ओर से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है।IX. बहुत से लोग एक बातचीत को सटीक रूप से याद नहीं कर सकते हैं और उनके द्वारा उपयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए शब्दों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।वे केवल बातचीत के मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं।एक गवाह से मानव टेप रिकॉर्डर होने की उम्मीद करना अवास्तविक है।

/

/

X. किसी घटना के सटीक समय, या किसी घटना की समय अवधि के संबंध में, आमतौर पर, लोग पूछताछ के समय क्षण की गति पर अनुमान लगाकर अपना अनुमान लगाते हैं।और ऐसे मामलों में लोगों से बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।पुनः, यह व्यक्तियों की समय-बोध पर निर्भर करता है जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है।

/

XI. आम तौर पर एक गवाह से उन घटनाओं के अनुक्रम को सटीक रूप से याद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो तेजी से या कम समय में होती हैं।एक गवाह भ्रमित हो सकता है, या बाद में पूछताछ करने पर भ्रमित हो सकता है।

/

/

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

/

बारहवीं। एक गवाह, हालांकि पूरी तरह से सच्चा है, न्यायालय के माहौल और वकील द्वारा और घबराहट के कारण की जाने वाली प्रतिपरीक्षा से भ्रमित होने के लिए उत्तरदायी है, तथ्यों को मिला देता है, घटनाओं के अनुक्रम के बारे में भ्रमित हो जाता है, या पल भर में कल्पना से विवरण भर देता है।गवाह का अवचेतन मन कभी-कभी मूर्ख दिखने या अविश्वास होने के डर के कारण काम करता है, हालांकि गवाह अपने द्वारा देखी गई घटना का सच्चा और ईमानदार विवरण दे रहा है।तेरहवीं। एक पूर्व कथन हालांकि साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि विरोधाभास के लिए पर्याप्त हो।जब तक पहले के बयान में बाद के बयान को बदनाम करने की

शक्ति नहीं है, तब तक उस गवाह का खंडन करना मददगार नहीं होगा, भले ही बाद का बयान कुछ हद तक पहले के बयान से भिन्न हो।

/

/

[देखें भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम राज्य

/

गुजरात**, 1983** क्रि एल**.** जे**. 1096:**आकाशवाणी **1983** एससी **753,** लीला

राम बनाम हरियाणा राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1999** एस**.** सी**. 3717,** और तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1959** एस**.** सी**. 1012]**

28. इसे सरल शब्दों में कहें तो, चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करने में, दो प्रमुख विचार हैं कि क्या मामले की परिस्थितियों में, घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर विश्वास करना संभव है या ऐसी स्थितियों में जो उनके लिए उनके द्वारा बयान किए गए तथ्यों को देखना संभव बनाती हैं और दूसरा, क्या उनके साक्ष्य में कुछ भी स्वाभाविक रूप से असंभव या अविश्वसनीय है।इन दोनों विचारों के संबंध में, या तो उन गवाहों से प्राप्त परिस्थितियों या उनकी उपस्थिति को अस्थिर करने या उनके बयानों की सत्यता को बदनाम करने के लिए अन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित परिस्थितियों का उस मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा जो एक न्यायालय उनके साक्ष्य के साथ जोड़ेगी।यद्यपि जिन मामलों में अभियुक्त की याचिका मात्र इनकार है, फिर भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की जांच अपने गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए, जहां अभियुक्त एक निश्चित याचिका दायर करता है या एक सकारात्मक मामला सामने रखता है जो अभियोजन पक्ष के साथ असंगत है, ऐसी याचिका या मामले की प्रकृति और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय इसके संबंध में संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

/

/

/

29. दोनों चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कुछ भी स्पष्ट या स्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर हम यह विचार कर सकते हैं कि वे हैं

/

सच्चे या विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं।यहाँ या वहाँ चूक के रूप में कुछ विरोधाभास चश्मदीद गवाहों के पूरे साक्ष्य को त्यागने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

30. उपरोक्त संदर्भ में, हम इस निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

यू. पी. राज्य के मामले में न्यायालय बनामअनिल सिंह, आकाशवाणी 1988 एससी 1998,

जिसमें पैरा 15 में इसे इस प्रकार मनाया गया हैः

/

“15. यह भी हमारा अनुभव है कि गवाह हमेशा अभियोजन की कहानी में कढ़ाई जोड़ते हैं, शायद अविश्वास के डर से।लेकिन अगर यह सच है, तो मुख्य रूप से मामले को ओवरबोर्ड करने का कोई आधार नहीं है।यदि मुख्य रूप से सच्चाई का घेरा है, तो मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्य से सत्य की जड़ों को बाहर निकाले जब तक कि यह विश्वास करने का कारण न हो कि विसंगतियां या झूठ इतने स्पष्ट हैं कि गवाहों में विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता नहीं करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता है।एक न्यायाधीश यह देखने के लिए भी अध्यक्षता करता है कि एक दोषी व्यक्ति बच न जाए।एक अन्य के समान ही महत्वपूर्ण है दोनों सार्वजनिक कर्तव्य हैं जिन्हें न्यायाधीश को निभाना होता है। "

/

/

31. अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य आगे चश्मदीद गवाहों के नेत्र संबंधी संस्करण की पुष्टि करते हैं।पीडब्लू-6 डॉ. शिवाजी विष्णु कछारे (Exh. 25) अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि मृत्यु का कारण सिर में चोट लगना है।विशेषज्ञ गवाह ने यह भी बयान दिया है कि सभी चोटें संदूषित घाव की प्रकृति की थीं और हथौड़ा जैसे हथियार के कारण हो सकती थीं।

/

32. फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट (Exh.10) से संकेत मिलता है कि मृतक के रक्त समूह से मेल खाने वाले हथौड़े पर मानव रक्त के धब्बे थे। 'ए' समूह।

/

33. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने दो चश्मदीद गवाहों यानी पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8 के जवाब पर सही विश्वास किया।हम उनके साक्ष्य के बारे में नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई अच्छा कारण नहीं देखते हैं।

/

साक्ष्य अधिनियम की धारा **27** के अंतर्गत डिस्कवरी पंचनामा ड्रॉनः

34. यह विचार रखने के बाद कि ऊपर उल्लिखित दो चश्मदीद गवाहों पर अविश्वास करने का हमारे लिए कोई उचित कारण नहीं है, हमारे पास ए हो सकता है

/

215

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

बंद कर दिया और मामला बंद कर दिया।हालाँकि, जहाँ तक अधिनियम की धारा 27 पर विधि का संबंध है, हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण देखा है, जैसा कि नीचे दो अदालतों द्वारा चर्चा की गई है।इसे अन्यथा रखने के लिए, हमने निचली विचारण न्यायालय द्वारा सौंपे गए तर्कों में एक गंभीर दुर्बलता देखी है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, जहां तक अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के हथियार की खोज के संबंध में विधि की स्थिति का संबंध है। यदि हम इसे नजरअंदाज करते हैं या अनदेखा करते हैं तो संभवतः निचली अदालतें वही गलती करती रह सकती हैं और ऐसी परिस्थितियों में, हम विधि की सही स्थिति और अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार खोज के साक्ष्य की सराहना कैसे करें, इसकी व्याख्या करना चाहेंगे।

/

/

35. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-4 अमसू हुसैन सैयद (एक्सएच) से पूछताछ की। 21) खोज पंचनामा (एक्सएच) को साबित करने के लिए पंच गवाहों में से एक के रूप में। 23)।

36. हमें सबसे पहले इस संबंध में पीडब्लू-4 की जाँच-पड़ताल पर गौर करना चाहिए।पीडब्लू-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहाः“पुलिस अधिकारियों ने मुझसे कहा कि मुझे पंच गवाह के रूप में काम करना है।मेरी उपस्थिति में पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति ने बताया कि उसने परला में जूतों की दुकान के पास एक हथियार छिपा कर रखा था।तदनुसार, मेरी उपस्थिति में पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया।पुलिस ने अभियुक्त के ज्ञापन-सह-बयान पर मेरे हस्ताक्षर प्राप्त किए।अब मुझे दिखाए गए ज्ञापन-सह-वक्तव्य पर मेरे हस्ताक्षर हैं।इसकी सामग्री सही और सही है।उक्त ज्ञापन को एक्श में प्रदर्शित किया गया है। 22.इसके बाद, मैं खुद, एक अन्य व्यक्ति, दो-तीन पुलिस अधिकारी और आरोपी विले पार्ले ईस्ट के रेलवे स्टेशन के बाहर विले पार्ले ईस्ट में गए। जूतों की दुकान के पास लकड़ी की एक बेंच थी।हमारी उपस्थिति में आरोपी ने लकड़ी की बेंच से एक लोहे का हथौड़ा निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया।पुलिस ने मेरी उपस्थिति में उक्त

हथौड़े का पंचनामा दर्ज किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया।अब मुझे दिखाया गया पंचनामा वही है।इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।इसकी सामग्री सही और सही है।यह एक्सएच में है। 23. "

/

/

/

/

37. हम रक्षा के आग्रह पर पीडब्लू-4 की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रासंगिक नहीं है।

38. अब हम जांच अधिकारी पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर गौर कर सकते हैं।अपने मुख्य परीक्षण में, उन्होंने खोज के संबंध में निम्नानुसार अपदस्थ किया हैः

/

“16 दिसंबर, 2006 को आरोपी ने पंच गवाहों की उपस्थिति में एक खुलासा बयान दिया कि वह उस जगह को इंगित करने के लिए तैयार और इच्छुक था जहां उसने विले पार्ले क्षेत्र में हथौड़ा छुपाया था।तदनुसार, मैंने पंच गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त के बयान के प्रकटीकरण का ज्ञापन पंचनामा तैयार किया।एक्स में ज्ञापन पंचनामा। 22 अब मुझे वही दिखाया गया है।इस पर मेरे हस्ताक्षर और पंच गवाहों के हस्ताक्षर हैं।इसकी सामग्री सही और सही है।इसके बाद, मैं स्वयं, पंच गवाह और आरोपी, अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, वल्लभभाई पटेल रोड पर विले पार्ले में जय भवानी जूतों की दुकान पर गया।इसके बाद आरोपी रेलवे परिसर की दीवार और लकड़ी की बेंच के बीच खुली जगह पर चला गया।उसने उक्त खुली जगह से हथौड़ा उठाया और हमें सौंप दिया।तदनुसार, मैंने वसूली पंचनामा तैयार करके उक्त हथौड़े को जब्त कर लिया।हथौड़े में लकड़ी का हैंडल और लोहे का केस था।मैंने देखा कि हथौड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे।पूर्व में पुनर्प्राप्ति पंचनामा। 23 अब मुझे दिखाए जाने पर मेरे हस्ताक्षर और पंच गवाहों के हस्ताक्षर हैं।इसकी सामग्री सही और सही है। "

/

/

/

39. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विचारण विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले विद्वत लोक अभियोजक ने उपरोक्त दो गवाहों यानी पीडब्लू-4 और पीडब्लू-10 के ठोस साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने के लिए मेहनत नहीं की, जवाब में कहा गया कि अभियुक्त ने एक बयान दिया था कि उसने हथौड़ा छुपाया था और वह उस स्थान को दिखाने के लिए इच्छुक था, भले ही वह पंचनामे (एक्सएच) में दर्ज किया गया हो। 22) कि अभियुक्त ने ऐसा बयान दिया।ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान लोक अभियोजक ने यह महसूस नहीं किया है कि इस संबंध में अभिलेख पर ठोस साक्ष्य होना चाहिए और पंचनामा का उपयोग केवल पंच के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, न कि सबूत के एक ठोस टुकड़े के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचनामों (Exh.22 और 23 जवाब) को पंच (PW-4) को दिखाया गया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया और इसलिए, इसे Exhs में प्रदर्शित किया गया था।22 और क्रमशः 23।पीडब्लू-4 के जाँच-प्रमुख से यह नहीं पता चलता है कि उसे प्रदर्शन से पहले पंचनामे पर पढ़ा गया था।इस न्यायालय ने समय-समय पर पंचनामे को पढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है जिसका उपयोग पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।इसके बावजूद, यह खेदजनक है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने यह देखने के लिए दर्द नहीं उठाया कि पंचनामा को प्रदर्शित करने से पहले उसे पढ़ा गया था।एक पंचनामा जिसका उपयोग केवल ए की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है

/

/

/

/

पंच को पंच को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद ही इसे प्रदर्शित किया जा सकता है।यदि पंच ने कुछ ऐसा कहना छोड़ दिया है जो पंचनामे में पाया जाता है, तो पंचनामे को पढ़ने के बाद पंच से पूछा जाना चाहिए कि पंचनामे का वह हिस्सा सही है या नहीं और वह जो भी जवाब देता है उसे दर्ज करना होगा।यदि वह सकारात्मक उत्तर देता है, तो पंच के मूल साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए पंचनामे के उस हिस्से को ही साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।यदि वह नकारात्मक में जवाब देता है, तो पंचनामे के उस हिस्से को रिकॉर्ड पर ठोस सबूत के अभाव में सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।इसलिए, यह आवश्यक है कि मुकदमे का संचालन करने वाले लोक अभियोजक द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि मुकदमे में पंच की जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाए।यह भी आवश्यक है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश यह भी देखे कि

पंचनामा को पंच के ऊपर पढ़ा जाता है और उसके बाद ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद पंचनामा प्रदर्शित किया जाता है।

/

/

40. उपरोक्त संदर्भ में, हम मुरली और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट (2009) 9 एस. सी. सी. 417 में दी गई हैः(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 12.हमें प्रासंगिक टिप्पणियां मिलींः

/

“34. पंचनामे की सामग्री मूल प्रमाण नहीं है।उस मुद्दे पर विधि बनाया जाता है।मूल साक्ष्य वह है जो पंचों या संबंधित व्यक्ति द्वारा गवाह बक्से में कहा गया है। "

/

41. एक और गंभीर दुर्बलता जो सामने आई है, वह उस व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक के संबंध में है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हथियार की खोज की थी।

42. अधिनियम की धारा-27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तें मोटे तौर पर निम्नानुसार हैंः-

/

(1) अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज;

(2) पदच्युत किए जाने वाले ऐसे तथ्य की खोज;

(3) अभियुक्त को पुलिस हिरासत में होना चाहिए जब उसने जानकारी दी और

/

(4) इतनी अधिक जानकारी जो इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, वह स्वीकार्य है-मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्यःआकाशवाणी (1976) एससी 483:(1975) कर एलजे 668

/

218 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

आवेदन के लिए दो शर्तें -

(1) जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिससे तथ्य की खोज हुई हो; और

(2) जानकारी स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित होनी चाहिए-कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्यःआकाशवाणी (1983) एससी 446:(1983)सीआर एलजे 846

/

43. हम संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवन के मामले में इस न्यायालय का

उपाध्याय ने आकाशवाणी (1960) एस. सी. 1125 में प्रतिवेदन दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-71 में अधिनियम की धारा 27 के संबंध में विधि की स्थिति को निम्नानुसार समझायाः

/

“71. इस प्रकार विधि ने अभियुक्त व्यक्तियों का वर्गीकरण दो भागों में किया हैः(1) उन दोनों को एक आरोप में हिरासत में लेकर उनके घर लाया गया है; और (2) जो अभी भी निशुल्क हैं।पूर्व श्रेणी में वे व्यक्ति भी हैं जो शब्दों या कार्यों द्वारा अभिरक्षा में आत्मसमर्पण करते हैं।इन दोनों वर्गों को दी जाने वाली सुरक्षा अलग-अलग है।पहली श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के मामले में विधि ने फैसला सुनाया है कि उनके बयान स्वीकार्य नहीं हैं, और दूसरी श्रेणी के मामले में, बयान का केवल वह हिस्सा स्वीकार्य है, जिसकी गारंटी जांच प्राधिकरण को दिए गए बयान से पहले एक प्रासंगिक तथ्य की खोज से मिलती है।वह कथन प्रकृति में इकबालिया भी हो सकता है, जैसे कि जब हिरासत में व्यक्ति कहता हैः“मैंने उसे इस तरह के माइनशाफ्ट से नीचे धकेल दिया और इसके परिणामस्वरूप पीड़ित का शरीर मिल जाता है, और यह साबित किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु माइनशाफ्ट से नीचे गिरने से लगी चोटों के कारण हुई थी। "

/

/

/

44. अधिनियम की धारा 27 का दायरा और दायरा स्पष्ट था।

फुलुकुरी कोट्टाया बनाम सम्राट, आकाशवाणी (1947) पी. सी. 67 में कहा गया है कि

निम्नलिखित शब्दों में लोकस क्लासिकस बन गए हैंः“खंड के भीतर 'खोजे गए तथ्य' को उत्पादित वस्तु के बराबर मानना गलत है; खोजे गए तथ्य में उस स्थान को शामिल किया गया है जहाँ से वस्तु उत्पन्न की गई है और आरोपी का इसके बारे में ज्ञान है, और दी गई जानकारी इस तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए।हिरासत में एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि 'मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा' से चाकू की खोज नहीं होती है; चाकू की खोज की गई थी ए

/

/

219

शाहजा @शाहजान इस्माइल मोहम्मद। शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

कई साल पहले।यह इस तथ्य की खोज की ओर ले जाता है कि सूचना देने वाले के घर में उसके ज्ञान के अनुसार एक चाकू छुपाया जाता है, और यदि चाकू का उपयोग अपराध करने में किया गया साबित होता है, तो पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है।लेकिन अगर बयान में 'ए' शब्द जोड़े जाते हैं, जिसके साथ मैंने 'ए' को चाकू मारा है, तो ये शब्द अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे सूचना देने वाले के घर में चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं। "

/

45. पीडब्लू-4 और पीडब्लू-10 के जवाब के साक्ष्य से जो पता चलता है वह यह है कि अपीलार्थी ने पंच गवाहों के सामने इस आशय से कहा कि "मैं आपको पार्ले में जूतों की दुकान के पास छिपा हुआ हथियार दिखाऊंगा।"इस कथन से यह संकेत नहीं मिलता है कि अपीलार्थी ने हथियार को छिपाने में अपनी संलिप्तता के बारे में कुछ भी संकेत दिया है।केवल खोज को हथियार की खोज करने वाले व्यक्ति द्वारा छिपाने के लेखक का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।वह किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी उस स्थान पर उस हथियार के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता था।हो सकता है कि उसने किसी को हथियार छिपाते हुए भी देखा हो, और इसलिए, यह अनुमान या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्योंकि किसी व्यक्ति ने हथियार की खोज की थी, वह वही व्यक्ति था जिसने इसे छुपाया था, कम से कम यह माना जा सकता है कि उसने इसका इस्तेमाल किया था।इसलिए, भले ही अपीलार्थी द्वारा खोज को स्वीकार कर लिया जाए, हथियार की खोज के संबंध में ठोस साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि अपीलार्थी ने खुलासा किया कि वह अपराध करने में उपयोग किए गए हथियार को दिखाएगा।

/

/

/

46. दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 911 में,

इस न्यायालय ने एक बहुत ही समान तथ्य स्थिति को ध्यान में रखा और पैराग्राफ 15 में कहा कि, यदि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है, तो अलग-अलग विचार प्रबल होते क्योंकि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही को बाहर करने के बाद साक्ष्य का संतुलन पूरी तरह से

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में आवश्यक मानक का नहीं था (जैसा कि यहां मामला है)।इस न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी के कहने पर पिस्तौल की खोज का साक्ष्य, अपने आप में, यह साबित नहीं कर सकता है कि जिसने हथियार को इंगित किया था, उसने अपराध में इसका इस्तेमाल किया था।खोज के साथ दिया गया बयान छिपाने के लेखक की पहचान करने के लिए अस्पष्ट पाया गया और यह माना गया कि हथियार की ओर इशारा करना, सबसे अच्छा, अपीलार्थी के ज्ञान को साबित कर सकता है कि हथियार कहाँ रखा गया था।

/

/

47. इस प्रकार, सटीक शब्दों के अभाव में, एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए जिम्मेदार, उसके द्वारा दिए गए बयान के रूप में जांच अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में अपदस्थ किया जा रहा है, और इसकी सामग्री को साबित किए बिना भी

/

पंचनामों में, परीक्षण न्यायालय हथियार की खोज की परिस्थितियों पर भरोसा करने में उचित नहीं था।

48. यहाँ तक कि खोज पंचनामे के रूप में साक्ष्य को त्यागते समय भी अपीलार्थी का आचरण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक होगा। खोज का साक्ष्य धारा 27 के अंतर्गत प्रकटीकरण कथन की स्वीकार्यता के अलावा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा

/

ए. एन. वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य, (2005) 7 एससीसी 714:

“साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर, अभियुक्त व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है।परिस्थितियों का साक्ष्य, सरलतर, कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को उस स्थान की ओर इशारा किया, जहाँ अपहृत लड़के का शव मिला था और उनके द्वारा शव को बाहर निकालने पर, धारा 8 के अंतर्गत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या अभियुक्त द्वारा समकालीन रूप से या इस तरह के आचरण के लिए पूर्ववर्ती रूप से दिया

गया बयान धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं, जैसा कि इस न्यायालय ने प्रकाश में अभिनिर्धारित किया था।

/

/

चांद बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(1979) 3 अनुसूचित जाति 90]।भले ही हम

अभिनिर्धारित करें कि अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन (उदा. पी14 और पी15) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी यह धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक है। "

/

49. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11

एस. सी. सी. 600, दो प्रावधानों यानी अधिनियम की धारा 8 और धारा 27 को इस विषय पर मामले के विधि के संदर्भ में और अधिनियम की धारा 8 के प्रस्ताव के साथ विस्तार से स्पष्ट किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

“आगे बढ़ने से पहले, हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 का विज्ञापन कर सकते हैं। धारा 8 जहाँ तक हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के आचरण को प्रासंगिक बनाती है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है।यह या तो पिछला या बाद का आचरण हो सकता है।इस खंड के दो स्पष्टीकरण हैं, जो 'आचरण' शब्द के दायरे की व्याख्या करते हैं।वे इस प्रकार हैंः

/

/

व्याख्या 1:इस धारा में 'आचरण' शब्द में बयान शामिल नहीं हैं, जब तक कि वे बयान बयानों के अलावा अन्य कार्यों के साथ और व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अंतर्गत बयानों की प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करता है।

/

व्याख्या 2:जब किसी व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक होता है, तो उसे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में दिया गया कोई भी बयान, जो इस तरह के आचरण को प्रभावित करता है, प्रासंगिक होता है।

व्यवहार, स्वीकार्य होने के लिए, ऐसा होना चाहिए कि इसका किसी मुद्दे के तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के साथ घनिष्ठ संबंध हो।स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि कृत्यों से अलग किए गए मात्र कथन 'आचरण' का गठन नहीं करते हैं जब तक कि वे कथन 'कथन के अलावा अन्य कृत्यों के साथ न हों और उनकी व्याख्या न करें।'कृत्यों के साथ इस तरह के बयानों को रेज़ गेस्टे का प्रमाण माना जाता है।धारा 8 में संलग्न दो चित्र विशेष उल्लेख के योग्य हैं।

/

/

(च) प्रश्न यह है कि क्या ए लूटा गया बी।

तथ्य यह है कि बी को लूटने के बाद, सी ने ए की उपस्थिति में कहा-पुलिस बी को लूटने वाले व्यक्ति की तलाश में आ रही है, और इसके तुरंत बाद ए भाग गया, प्रासंगिक हैं।

/

*

*

*

((i) क पर अपराध का आरोप है।

तथ्य कि कथित अपराध के बाद, वह फरार हो गया था, या संपत्ति के कब्जे में था या अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति की आय, या उन चीजों को छिपाने का प्रयास किया जो इसे करने में उपयोग की गई थीं या हो सकती थीं, प्रासंगिक हैं।हम प्रकाश दंड प्रक्रिया संहिता मामले (उपरोक्त) में पहले ही एक आरोपी के आचरण के बीच उजागर किए गए अंतर को देख चुके हैं जो धारा 8 के अंतर्गत स्वीकार्य है और एक जांच के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान जो धारा 162 द्वारा प्रभावित है। परिस्थितियों का साक्ष्य, सरल, कि आरोपी ने पुलिस अधिकारी को बताया कि जिस स्थान पर चोरी की गई वस्तुओं या अपराध करने में उपयोग किए गए हथियारों को छुपाया गया था, वह धारा 8 के अंतर्गत 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी द्वारा समकालीन रूप से दिया गया बयान या इस तरह के आचरण के लिए पूर्ववर्ती बयान, धारा 27 के दायरे में आता है, जैसा कि प्रकाश दंड प्रक्रिया संहिता मामले में बताया गया है।ओम प्रकाश मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:धारा के अंतर्गत जानकारी की स्वीकार्यता के अलावा, जांच अधिकारी और पंचों का सबूत कि आरोपी उन्हें पीडब्लू 11 के पास ले गया था (जिनसे उसने जानकारी खरीदी थी)।

/

/

/

/

/

हथियार) और उसे इंगित किया और जैसा कि पी. डब्ल्यू. 11 द्वारा पुष्टि की गई है, स्वयं साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत आरोपी के 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा।

50. इसके अलावा, उपरोक्त संदर्भ में, हम सावधानी बरतना चाहेंगे।यद्यपि एक अभियुक्त का आचरण अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, फिर भी वही, अपने आप में, उसे दोषी ठहराने या उसे दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए।साक्ष्य के किसी भी अन्य टुकड़े की तरह, एक अभियुक्त का आचरण भी उन परिस्थितियों में से एक है जिन पर न्यायालय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य के साथ विचार कर सकती है।हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि अकेले अभियुक्त का आचरण, हालांकि अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

/

/

51. अंतिम विश्लेषण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है।

52. तदनुसार अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/

/

/